कार्यालय जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर

पत्रांक- 4615 ई-आफिस / JJM / 2025-26/ 583 दिनाँक-24../11/2025

जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति-

दिनाँक-20/11/2025को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी के साथ जिला सभागार में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी । जिसमें अधिशाषी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) के साथ AE/JE,DPMU,TPIA व दोनों फर्म वेलस्पन/VTL के प्रो0 मैनेजर के साथ सम्बन्धित ब्लाक हेड के द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया।

समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित अधिकारियों,कर्मचारियों एवं VTL ववेलस्पन के प्रो0 मैनेजर को निम्न निर्देश दिये गये -

1. यह कि जनपद में 571 शिरोपरी जलाशय के सापेक्ष 196 शिरोपरी जलाशय के निर्माण का कार्य दोनों फर्मों द्वारा किया गया है गत समीक्षा बैठक दिनाँक-14/11/2025के पश्चात वेलस्पन कम्पनी के द्वारा मात्र 03 शिरोपरी जलाशय का निर्माण किया गया है तथा VTL कम्पनी द्वारा कोई भी शिरोपरी जलाशय का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। निर्देशित किया गया कि मैन पावर लगाकर अवशेष शिरोपरी जलाशय के निर्माण का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करें।
2. यह कि 125 नग पूर्ण पेयजल परियोजना एवं 225 नग डायरेक्ट नलकूप के माध्याम से आंशिक जलापूर्ति वाली पेयजल परियोजनाओं के सत्यापन जिलास्तरीय अधिकारियों के माध्यम से कराकर उसकी वस्तुस्थिति की आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
3. यह कि JJM 2.00 पर ब्लाक के सचिव के e-Gramswaraj लागिन पासवर्ड के द्वारा लागिनं किया जाना है। अधिशाषीअभियन्ता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया जाता है कि इस कार्य को प्रत्येक दशा में आज ही सायं तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
4. यह कि VTL कम्पनी द्वारा अवरोध के 70 प्रकरण अधिशाषीअभियन्ता जल निगम ग्रामीण को निस्तारणकिये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये है। अधिशाषीअभियन्ता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया जाता है कि तहसीलवार/वनविभाग से सम्बन्धित प्रश्नगत प्रकरणों की सूची तैयार कर पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करें जिससे प्रकरण सम्बन्धित विभाग को भेजकर निस्तारण कराया जा सकें।
5. यह कि भीटी ब्लाक के ब्लाक हेड द्वारा अवगत कराया गया कि पेयजल परियोजना से ग्रामीणों को जलापूर्ति हेतु जो टैप कनेक्शन प्रदान किया गया है उसकी टोटी विभिन्न राजस्व ग्रामों में लाभार्थी द्वारा निकाल लिया जा रहा है। अधिशाषीअभियन्ता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार के चोरी के सभी प्रकरणों की सूची तैयार कर के कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।
6. यह कि अधिशाषीअभियन्ता को निर्देशित किया गया कि पेयजल परियोजना पर लगाये गये सभी पम्प ऑपरेटर का मो0 न0 परियोजना से सम्बन्धित राजस्व ग्रामों के सरकारी भवनों पर अंकित करना सुनिश्चित करें जिससे जलापूर्ति के समय लीकेज आदि की जो समस्या होती है उसे पम्प आपरेटर कम्पनी को सूचित कर ठीक कराया जा सकें।

उपरोक्त निर्देश के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Digitally signed by
ANUPAM SHUKLA
Date: 24-11-2025
15:12:55

(अनुपम शुक्ला)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
अम्बेडकरनगर

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी निदेशक महोदय राज्य पेय जल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को सूचनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारीअम्बेडकरनगर को सूचनार्थ।
3. डी0पी0आर0ओ0 अम्बेडकरनगर।
4. अधिशाषीअभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) अम्बेडकरनगरको आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. दोनों फर्मवेलस्पन एवं VTL कम्पनीअम्बेडकरनगरको अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
अम्बेडकरनगर

1-GV